

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-सहायक निदेशक मत्स्य/
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
एटा/बहराइच/गाजियाबाद/फिरोजाबाद/कुशीनगर/अम्बेडकरनगर।
- 2- उप निदेशक मत्स्य,
मेरठ/झांसी/मिर्जापुर/अयोध्या।

पत्रांक:- 985 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019-20 दिनांक- 10 जून, 2019
विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंगेशियस फार्मिंग इन लो
कास्ट रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 854/नि0शा0/रा0कृ0 वि0यो0 दिनांक 24.05.2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष पंगेशियस फार्मिंग इन लो कास्ट रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना हेतु अवमुक्त रू0 180.60 लाख में से रू0 180.00 लाख संलग्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अग्रिम आहरण करने पर स्वयं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से व्यय की जायेगी।
3. परियोजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के प्रस्तर-2 से 9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि फर्म -800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208-मत्स्य पालन की योजनायें "27" सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 84 पर अंकित है।
संलग्नक- यथोपरि।

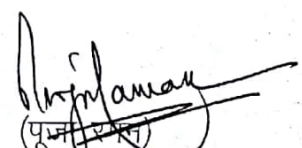
भवदीया


(पूजा सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- 985 / नि0शा0 / रा0कृ0वि0यो0 / 2019-20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग-3 को शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के सन्दर्भ में।
4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, मेरठ/झांसी/मिर्जापुर/अयोध्या।
9. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल में रखने हेतु।


(पूजा सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1-सहायक निदेशक मत्स्य /

मत्स्य पालक विकास अभिकरण,

एटा/बहराइच/गाजियाबाद/फिरोजाबाद/कुशीनगर/अम्बेडकरनगर।

2- उप निदेशक मत्स्य,

मेरठ/झांसी/मिर्जापुर/अयोध्या।

पत्रांक:-

/नि०शा०/रा०कृ०वि०यो०/2019-20

दिनांक- 10 जून, 2019

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंगेशियस फार्मिंग इन लो कास्ट रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 854/नि०शा०/रा०कृ० वि०यो० दिनांक 24.05.2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष पंगेशियस फार्मिंग इन लो कास्ट रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना हेतु अवमुक्त रू० 180.60 लाख में से रू० 180.00 लाख संलग्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अग्रिम आहरण करने पर स्वयं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर (डी०बी०टी०) के माध्यम से व्यय की जायेगी।
3. परियोजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के प्रस्तर-2 से 9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि फर्म -800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208-मत्स्य पालन की योजनायें "27" सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 84 पर अंकित है।
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- 985 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019-20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग-3 को शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के सन्दर्भ में।
4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, मेरठ/झांसी/मिर्जापुर/अयोध्या।
9. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल में रखने हेतु।


(अंशुमान सिंह)

वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-05/06/2019

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

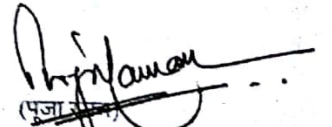
1
001-Pangasius Farming in Low Cost Recirculatory Aqu
11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)
800 - अन्य व्यय
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)
08 - मत्स्य पालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी जनपद का नाम	27-सप्तिह	योग
1	शेरड-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000
2	रटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000
3	झौंसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1200000 1200000
4	निर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000
6	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 1200000
7	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000
8	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2800000 2800000
9	कुरुक्षेत्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 800000
10	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	18000000 18000000

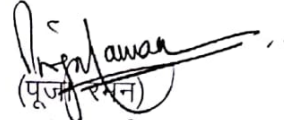
महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया एक करोड़ अस्सी लाख
रुपया एक करोड़ अस्सी लाख


(पूजा कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी

6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 86 पर अंकित है।
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया


(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी,

मत्स्य निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019-20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग-3 को शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के सन्दर्भ में।
4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, शामली/बदायूं/औरैया/कानपुर देहात/मिर्जापुर/गोरखपुर/उन्नाव।
9. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल में रखने हेतु।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी,

मत्स्य निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेमक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-सहायक निदेशक मत्स्य/
मत्स्य पालक विकास अधिकरण,
बिजनौर/शाहजहाँपुर/रामपुर/फर्रुखाबाद/जालौन/हमीरपुर/बाँदा/
बहराइच/ललितपुर/फिरोजाबाद/सोनभद्र/संतरविदारसनगर/अम्बेडकरनगर/
बलरामपुर/अमरोहा/चित्रकूट।
- 2- उप निदेशक मत्स्य,
सहारनपुर/बरेली/कानपुर/मिर्जापुर/गोरखपुर/लखनऊ।

पत्राक:-

/नि०शा०/रा०कृ०वि०यो०/2019-20

दिनांक- 10 जून, 2019

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में फिश सीड रियरिंग यूनिट की स्थापना हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 854/नि०शा०/रा०कृ० वि०यो० दिनांक 24.05.2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष फिश सीड रियरिंग यूनिट की स्थापना हेतु अवमुक्त रू० 115.92 लाख में से रू० 61.92 लाख संलग्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अग्रिम आहरण करने पर स्वयं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर (डी०बी०टी०) के माध्यम से व्यय की जायेगी।
3. परियोजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के प्रस्तर-2 से 9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि फर्म -800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208-मत्स्य पालन की योजनायें "27" सविसडी के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 86 पर अंकित है।
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया

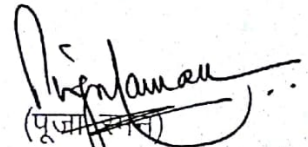
(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- 984 / नि०शा० / रा०कृ०वि०यो० / 2019-20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग-3 को शासनादेश संख्या 524/12-3-2019-100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के सन्दर्भ में।
4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, शामली/बदायूं/औरैया/कानपुर देहात/मिर्जापुर/गोरखपुर/उन्नाव।
9. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल में रखने हेतु।


(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-05/06/2019

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1
001-Establishment of Fish Seed Rearing
11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)
800 - अन्य व्यय
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)
08 - मत्स्य पालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	27-सब्सिडी	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --32-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - शामली	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
2	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
3	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
4	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 60000 60000	60000 60000
5	रानपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 156000 156000	156000 156000
6	कुरुवाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
7	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --23-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - औरंगाबाद	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
8	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
9	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
10	इमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
11	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 60000 60000	60000 60000
12	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 600000 2600000	600000 2600000
13	मोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
14	सखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --28-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य (सखनऊ)	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
15	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 60000 1260000	60000 1260000
16	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
17	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 156000 2956000	156000 2956000
18	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
19	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 300000 300000	300000 300000
20	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 300000 2300000	300000 2300000

प्रमाणित किया जाता है			दिनांक
2.1	प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित - बचत - की	प्रमाणित किया जाता है	20/05/2020
2.2	प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित - बचत - की	प्रमाणित किया जाता है	20/05/2020
2.3	प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित - बचत - की	प्रमाणित किया जाता है	20/05/2020
कुल			20/05/2020

प्रमाणित (प्रमाणित आधिकारिक)

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित (प्रमाणित आधिकारिक)

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित


प्रमाणित प्रमाणित